43 फीसदी बच्चों का वजन मध्य प्रदेश में औसत से भी कम है। 2016 में जारी चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 26 प्रतिशत बच्चे अतिगंभीर कुपोषण के शिकार थे।

प्रधानमंत्री को कोई भी अपशब्द कह देता है, और कितनी आजादी चाहिए

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

जागरण संवाददाता, जयपुर

- फेस्टिवल के आखिरी दिन मीडिया पर दबाव को लेकर हुई गरमागरम चर्चा
- मोदी सरकार के दौरान चार नए न्यूज चैनल को लाइसेंस दिए गए

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सोमवार को आयोजित सत्र 'चौथा स्तंभ : द फोर्थ एस्टेट' में अपनी बात रखते पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर (बाएं), दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय (बीच में) और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी (दाएं)। सौ. जेएलएफ

यह झूठ है कि वर्तमान दौर में आम जनता या मीडिया की आजादी छीनी जा रही है। आज कोई भी मुंह उठाकर सीधे प्रधानमंत्री को अपशब्द कह देता है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताने लगता है। यह आजादी नहीं है तो फिर क्या है! सच तो यह है कि मीडिया हो चाहे आम जनता, जितनी आजादी इस दौर में सबको मिली हुई है, उतनी पहले कभी नहीं मिली। जिन्हें आजादी महसूस नहीं होती, वे आपातकाल का दौर याद कर लें, जब प्रेस, विपक्षी नेता, कलाकार से लेकर जनता तक को कुछ भी कह सकने की स्वतंत्रता नहीं थी। बोलते ही जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए सबको इस आजादी का सम्मान करना सीखना होगा। यह बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सोमवार को आयोजित सत्र 'चौथा स्तंभः द फोर्थ एस्टेट' में कही गई। सत्र में वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी, दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और अतुल चौरसिया ने मॉडरेटर अनु सिंह चौधरी से बातचीत की। सत्र में मीडिया के दक्षिण और वामपंथ के खेमे में बंट जाने पर गरमागरम बहस हुई। थानवी ने कहा- 'आज का मीडिया गोदी मीडिया हो गया है।' प्रत्युत्तर में हितेश शंकर और अनंत विजय ने इसका जोरदार खंडन करते हुए कहा- 'मोदी को अपशब्द कह देने से मीडिया की दुकान चलती है। इसलिए कुछ खास एजेंडे वाला मीडिया दिनभर मोदी को कोसता रहता है। सच तो यह है कि इसके बिना उनका काम ही नहीं चल पाता।'

थानवी ने दी गलत जानकारी : सत्र में थानवी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि '2014 के बाद से चैनल रिपब्लिक के अलावा किसी नए चैनल को लाइसेंस नहीं दिया गया। यह मीडिया का गला घोंटने जैसा है।' इस पर शंकर ने बताया कि मोदी सरकार के दौरान चार नए न्यूज चैनल, 16 मनोरंजन चैनल के लाइसेंस दिए गए हैं।

सोशल मीडिया सच सामने ला रहा : सोशल मीडिया व मुख्य धारा के मीडिया को लेकर चर्चा में कहा गया कि 'सोशल मीडिया अराजक हो गया है, क्योंकि इस पर गलत जानकारियां व अफवाहें चल रही हैं।' इसके जवाब में अनंत विजय और हितेश शंकर ने प्रतिकार किया कि 'कल तक मीडिया की ताकत चंद लोगों के हाथ में थी, आज हर हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति रिपोर्टर या संपादक है। पहले मीडिया खास विचारधारा के समर्थन में एजेंडा चलाता था, अब संभव नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को सच बताना शुरू कर दिया है।'

पेंदे में छेद वाली बाल्टी है जिंदगी, इसे कैसे भरोगे

ईश्वर शर्मा, जयपुर

- फिल्म 'थ्री इडियट' से प्रसिद्ध हुए सोनम वांगचुक से नईदुनिया ने की खास बातचीत

'जिंदगी क्या है? इसका सटीक जवाब यह है कि 'पेंदे में छेद वाली बाल्टी है जिंदगी, इसे कितना भी भरोगे, ये खाली होती जाएगी। इसलिए इसे भरने में अपना सब कुछ खत्म कर देने के बजाय यह जो है, जैसी है, उसे मस्ती से जीना सीखिए।' यह बात फिल्म 'थ्री इडियट' से प्रसिद्ध हुए लद्दाख के वैज्ञानिक-शिक्षक सोनम वांगचुक ने कही। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' ने उनसे खास बातचीत की।

वांगचुक फेस्टिवल में 'क्लाइमेट इमरजेंसी' विषय पर चर्चा करने पहुंचे थे। वांगचुक ने यह स्वीकारा कि फिल्म थ्री इडियट ने उन्हें वैज्ञानिक फुंगसुक वांगडू के रूप में फेमस कर दिया और उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया। लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करते हुए पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उन्होंने स्वागत किया। वे बोले- 'क्लाइटमेट में बदलाव का सबसे अधिक असर लद्दाख जैसे इलाके में भी हो रहा है। अब वहां उतनी बर्फ नहीं पड़ती। गर्मी होने लगी है। इससे वहां की जलवायु और संस्कृति खतरे में हैं।'

बाजार के मेंढक मत बनिए : वांगचुक ने सलाह दी कि खुश रहना चाहते हैं तो बाजार के इशारे पर नाचने वाले मेंढक मत बनिए। आप वही खरीदिए जो आपकी सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, 'भारत उपभोग नहीं बल्कि 'त्येन त्यक्तेन भुंजीथाः' अर्थात त्याग की संस्कृति वाला देश रहा है। आज पश्चिम की होड़ में हम उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। इससे हम अपनी स्वाभाविक खुशियां खो देंगे।'

बच्चे जानते हैं 20 ग्राम की जिंदगी : वांगचुक ने चिंता जताई कि आज पांच साल का बच्चा भी जानता है कि 20 ग्राम क्या होता है, क्योंकि वह कार्टून चैनल के विज्ञापनों में वही सब देखता है। दरअसल, बच्चों की जिंदगी ही हमने 20 ग्राम के आसपास समेट दी है।

फूट-फूटकर रोईं अभिनेत्री दीया मिर्जा

ग्लोबल वॉर्मिंग और धरती के बदलते वातावरण पर हुए सत्र में फिल्म अभिनेत्री दीया मिर्जा मंच पर फूट-फूटकर रोने लगीं। वे वातावरण में आ रहे बदलावों, हाल ही में हुई क्रिकेटर की मौत व दुनिया में बढ़ रहे अपराधों जैसे विषयों पर बोल रही थीं। अपनी बात कहते-कहते दीया भावुक हो गईं और यह कहकर रोने लगीं कि हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया देकर जाएंगे।

न्यूज गैलरी

पूर्व सैनिकों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया

अहमदाबाद : गुजरात में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों ने गांधीनगर में प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक सरकारी नौकरियों में कड़ाई से आरक्षण लागू करने और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाले मुआवजा राशि में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। अपनी 14 मांगों के समर्थन में पूर्व सैनिक रविवार से शाहीबाग इलाके में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे। सोमवार को पूर्व सैनिकों ने सचिवालय परिसर तक कार रैली निकाली। पूर्व सैनिकों ने कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जान देने वाले जवानों के परिवार को मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रुपये का भुगतान करे। गुजरात पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र निमावत ने कहा, 'दिल्ली में आप सरकार शहीदों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये देती है, गुजरात सरकार केवल एक लाख दे रही है। हम चाहते हैं कि यहां की भाजपा सरकार भी मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दे।' (राब्यू)

मप्र में ध्वजारोहण के दौरान आंबेडकर का पोस्टर फाड़ा

शिवपुरी : मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के ग्राम दावरअली में गणतंत्र दिवस पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में डॉ. भीमराव आंबेडकर का पोस्टर फाड़ने को लेकर बवाल मच गया। ग्रामीणों के समक्ष हुआ घटनाक्रम थाने तक पहुंचा। पुलिस ने दो शिक्षक और एक पंचायत सचिव पर केस दर्ज कर लिया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में ग्रामीणों ने महापुरुषों की प्रतिमा रखे जाने की बात कही। शिकायतकर्ता हरगोविंद ने पुलिस को बताया कि जब लोगों ने डॉ. आंबेडकर की तस्वीर भी रखने को कहा तो शिक्षक नाराज हो गए। वहां मौजूद पंचायत सचिव ने भी विरोध प्रकट करते हुए डॉ. आंबेडकर का पोस्टर फाड़ दिया। पुलिस ने शिक्षक सुरेंद्रसिंह परमार, बृजभानसिंह राजपूत व पंचायत सचिव संतोष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। (नईदुनिया)

अनुराग ठाकुर ने लगवाए आक्रामक नारे

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से देश के गद्दारों को लेकर आक्रामक नारे लगवाए। रिठाला में आयोजित जनसभा में अनुराग ठाकुर ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने करीब पांच मिनट तक भीड़ से आपत्तिजनक नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता कमल के फूल का बटन इतनी जोर से दबाएगी कि उसकी गूंज शाहीन बाग होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगी। (जासं)

हनी ट्रैप केस के साक्ष्य सौंपने पर एसआइटी की टालमटोल

बड़ा मामला ▶ हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को सुबूत सौंपने के दिए थे निर्देश

एसआइटी का कहना है कि आदेश मिलने के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति

राजीव सोनी, भोपाल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा जब्त सभी साक्ष्य और दस्तावेज आयकर विभाग के हवाले करने को लेकर फिलहाल ना-नकुर की स्थिति है। आयकर इंवेस्टीगेशन विंग का मानना है कि साक्ष्य हाथ में आने के बाद ही जांच की दिशा तय होगी। मामले में रसूखदारों की संलिप्तता, लाखों-करोड़ों रुपए का लेनदेन, कांट्रेक्ट आदि की छानबीन और साक्ष्यों का सत्यापन होना है। इसके बाद कालेधन और बेनामी संपत्ति को लेकर संबंधितों की आर्थिक कुंडली खंगाली जाएगी।

प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाने वाले इस प्रकरण में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 20 जनवरी को एसआइटी को निर्देश दिए थे कि आयकर विभाग को 10 दिन में प्रकरण से जुड़े साक्ष्य सौंप दिए जाएं। एसआइटी का कहना है कि उसे अभी (सोमवार अपरान्ह तक) हाई कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश देखने के बाद ही अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर, आयकर इंवेस्टीगेशन विंग इस इंतजार में है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसे जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी पड़ताल के बाद मामले से संबद्ध अन्य लोगों को कालेधन के लेनदेन, हवाला, बेनामी प्रॉपर्टी और टैक्स के मुद्दे पर पूछताछ के लिए तलब करेंगे। प्रकरण में मुख्य आरोपित श्वेता स्वप्निल जैन, श्वेता विजय जैन और आरती दयाल से हुई पूछताछ में आयकर विभाग लेनदेन के संदर्भ में सैकड़ों सवालों के लिखित बयान ले चुका है।

आयकर विभाग पूर्व में दो बार एसआइटी को पत्र भेजकर साक्ष्यों की मांग कर चुका है, जिसमें उसने हनीट्रैप प्रकरण में काली कमाई के लेनदेन की छानबीन में मदद का प्रस्ताव दिया था। निराशा हाथ लगने के बाद ही आयकर ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई।

> हनी ट्रैप मामले में आयकर विभाग का मुख्य फोकस आर्थिक लेनदेन की छानबीन पर ही है। बाकी मामले से हमें कोई लेना-देना नहीं। प्रकरण में संबंधित लोगों से यदि राशि का लेनदेन हुआ है तो उसकी पड़ताल होगी, पैसा कहां से आया और कहां गया उसके तथ्य जुटाए जाएंगे। इसके आधार पर टैक्स वसूली निकाली जाएगी।
> **-राजेश टुटेजा, महानिदेशक, आयकर विभाग, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़**

आदेश देखने पर अगली कार्रवाई

एसआइटी प्रमुख एवं स्पेशल पुलिस महानिदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। कोर्ट के आदेश का अध्ययन और वकील से चर्चा के बाद ही अगली कार्रवाई तय करेंगे। यह पूछने पर कि क्या मामले में पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे? इस पर वह बोले कि यह तो आदेश देखने के बाद ही निर्णय करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अभी हनी ट्रैप मामले में आरोपितों से जब्त साक्ष्य व अन्य जानकारी आदि आयकर को नहीं दी गई है।

उम्रकैद मामले में गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गैंगेस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामशांदेकर की हत्या मामले में अरुण गवली को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर ने उसी सजा को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि शिवसेना पार्षद जामशांदेकर की 2008 में दो लोगों ने हत्या कर दी थी। अरुण गवली के सहयोगी ने इस हत्या की सुपारी दी थी। उस समय गवली विधायक थे। गवली ने पिछले महीने बांबे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। फिर गवली ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने अरुण गवली की अपील पर सुनवाई की सहमति व्यक्त की और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर 2019 को गवली की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।

बता दें कि निचली अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा सुनाई थी। गवली को 21 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह महाराष्ट्र की एक जेल में बंद है।

भोपाल गैस कांड में अतिरिक्त मुआवजे पर सुनवाई आज

- 2010 में दायर केंद्र की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी संविधान पीठ
- केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी से की है अतिरिक्त 7,844 रुपये की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : भोपाल गैस कांड में 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ मंगलवार को सुनवाई करेगी। सरकार ने अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) को खरीदने वाली डो केमिकल्स से मुआवजे की मांग की है। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था।

जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनित शरण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस. रविंद्र भट की पीठ पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए यूनियन कार्बाइड और अन्य कंपनियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। यूनियन कार्बाइड ने 1989 में हुए समाधान के तहत मुआवजे के लिए 47 करोड़ डॉलर (लगभग 750 करोड़ रुपये) का भुगतान किया था।

क्या था मामला : यूसीसी की भोपाल स्थित फैक्ट्री से 2-3 दिसंबर, 1984 की दरम्यानी रात मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआइसी) नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इसमें तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उचित मुआवजे और सही इलाज के लिए पीड़ितों ने लंबी लड़ाई लड़ी।

केंद्र ने 2010 में दायर की याचिका

मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2010 में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी। सात जून, 2010 को भोपाल की एक अदालत ने इस मामले में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआइएल) के सात अधिकारियों को दो साल कैद की सुनाई थी।

वारेन एंडरसन था मुख्य आरोपित

इस मामले में यूसीसी का चेयरमैन वारेन एंडरसन मुख्य आरोपित था, लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। हादसे के तुरंत बाद वह अमेरिका भाग गया था। एक फरवरी, 1992 को भोपाल की सीजेएम अदालत ने एंडरसन को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। भोपाल की अदालतों ने 1992 और 2009 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। लेकिन उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सका। सितंबर, 2014 में एंडरसन की मौत हो गई थी।

आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाने वाले तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बस्ती

आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाने वाले हामिद अशरफ की कमर तोड़ने में जुटी आरपीएफ, सीआइबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की देर शाम उप्र के मऊ जिले के तीन स्थानों से उसके तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया। तीनों हामिद के नेटवर्क से लंबे से जुड़े हुए थे।

बस्ती के रहने वाले हामिद की तलाश में पूरे देश में छापेमारी चल रही है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अमित प्रकाश मिश्र ने बताया कि हामिद ने 2012 में आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाकर स्वयं का साफ्टवेयर ब्लैक टीएस बनाया। इसके जरिये वह तत्काल कोटे का टिकट पलक झपकते ही निकाल लेता था। बाद में रेड मिर्ची साफ्टवेयर बनाकर इसने पैनल सेलर बनाना शुरू कर दिया। 2016 में सीबीआइ की गिरफ्त में आने के बाद जब छूटा तो नेपाल चला गया और वहीं से नया एएनएमएस साफ्टवेयर बनाया। बस्ती व गोंडा में दिसंबर और जनवरी में अवैध टिकट के साथ पकड़े गए आधा दर्जन लोगों के कनेक्शन भी हामिद से ही थे। भुवनेश्वर में गुलाम मुस्तफा आरपीएफ के हाथ लगा तो हामिद के आतंकी कनेक्शन सामने आए। इसी के बाद से आरपीएफ के साथ खुफिया एजेंसियां भी उस तक पहुंचने में लग गईं।

इनकी हुई गिरफ्तारी

आरपीएफ इंस्पेक्टर बस्ती नरेंद्र यादव ने बताया कि अमित गुप्ता, नंदन गुप्ता और अब्दुल रहमान उर्फ नेहाल खान को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से तीन लैपटाप, पांच मोबाइल, 261 तत्काल व सामान्य ई टिकट, काउंटर टिकट, जिनकी कीमत सात लाख रुपये से अधिक है, मिले हैं। ये टिकट हामिद के साफ्टवेयर से ही बनाए गए हैं। इनसे आइआरसीटीसी की 150 फर्जी पर्सनल आइडी भी जब्त की गई है।

गोंडा बम विस्फोट का भी आरोपित है हामिद

उप के गोंडा में गत 21 जुलाई 2019 को खोड़ारे थाना क्षेत्र के एक स्कूल में हुए बम विस्फोट में हैकर हामिद अशरफ मुख्य आरोपित है। गोंडा पुलिस इस मामले में उसका घर कुर्क करने की तैयारी में है।

कमर्शियल उड़ानें सबसे सुरक्षित

- हवाई यात्राओं में होती हैं सबसे कम मौतें : शोध
- 2008 और 2017 के बीच पिछले दशकों के मुकाबले एयरलाइन यात्रियों के हताहत होने की घटनाएं कम हुई

ट्रांसपोर्टेशन साइंस में प्रकाशित हुआ शोध। प्रतीकात्मक

बोस्टन, प्रेट्र : आम धारणा के विपरीत हवाई यात्राएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं। ताजा शोध के मुताबिक विश्व भर में सबसे कम मौतें कमर्शियल फ्लाइट में ही होती हैं।

ट्रांसपोर्टेशन साइंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक वर्ष 2008 और 2017 के बीच पिछले दशकों के मुकाबले एयरलाइन यात्रियों के हताहत होने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। अमेरिका के मैसाचुएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार फिलहाल वैश्विक स्तर पर विमान से होने वाली कमर्शियल यात्राओं में प्रति 79 लाख यात्रियों में सिर्फ एक यात्री की मौत हुई है। जबकि वर्ष 1998-2007 तक प्रति 27 लाख यात्रियों पर एक यात्री की मौत होती थी। लिहाजा सड़क, जल मार्ग के मुकाबले हवाई यात्राएं सुरक्षित हैं। लेकिन इसमें भी प्राइवेट विमान के बजाय कमर्शियल उड़ान से यात्राएं अधिक सुरक्षित हैं। शोध में पाया गया कि वर्ष 1978-1987 के बीच कमर्शियल उड़ानों में मौत का खतरा हर 7,50,000 उड़ानों में से एक का होता था। एमआइटी के विद्वान अर्नाल्ड बार्नेट ने बताया कि हर दो दशक के बाद मौत का खतरा तेजी से घटता जा रहा है। यह बेहद रोचक तथ्य है और यह बात लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। शोध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एयरलाइन की सुरक्षा साफ तौर पर क्षेत्रीय कारक भी है।

यह पाया गया है कि सबसे कम खतरे वाली एयरलाइनें अमेरिका में हैं। इसके अलावा, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजरायल की एयरलाइनें भी बेहद सुरक्षित हैं। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार इन देशों में वर्ष 2008-2017 के दौरान हर 331 लाख यात्रियों में एक की ही मौत हुई।

इसके अलावा, कुछ अन्य देश भी हैं जहां खतरे का स्तर मध्यम रहता है। यहां वर्ष 2008-2017 के बीच 74 लाख हवाई यात्रियों में केवल एक मौत हुई है। इस श्रेणी में एशिया के अधिकांश देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और पश्चिम एशिया के देश शामिल हैं। इसी तरह तीसरी श्रेणी में सबसे खतरे वाले विकासशील देश आते हैं जिसमें कुछ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। वर्ष 2008-2017 के बीच 12 लाख हवाई यात्रियों में एक की मौत होती है।

वाराणसी में चूहे ने रोक दी उड़ान, रातभर मची रही अफरातफरी

जासं, वाराणसी : वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से देहरादून जाने वाले एयर इंडिया के विमान में शनिवार की रात चूहा प्रवेश करने की सूचना को लेकर अफरातफरी मच गई। चूहे से खतरे को भांपते हुए उसमें बैठे यात्रियों को उतार दिया गया। काफी खोजबीन के बाद भी चूहा न मिलने पर विमान को रद कर दिया गया। यात्रियों को एयरलाइंस प्रबंधन द्वारा शहर में स्थित एक होटल में ठहराया गया। करीब 24 घंटे बाद दूसरे दिन विमान को भेजा गया।

एयर इंडिया का विमान एआइ 691 कोलकाता से शाम 3.55 बजे उड़ान भरने के बाद 5.20 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरता है। वाराणसी से यही विमान देहरादून के लिए उड़ान भरता है। शनिवार को यह विमान रात लगभग आठ बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। यात्री विमान यहां खाली हुआ और फिर देहरादून जाने वाले यात्री उसमें बैठ गए। उसी समय विमान में बैठे एक यात्री को चूहा दिखाई पड़ा। यात्री ने क्रू मेंबर को तत्काल इसकी जानकारी दी। विमान में बैठे सभी यात्रियों को उतार दिया गया और चूहे की खोजबीन शुरू हो गई।

नक्सलियों ने दो मालगाड़ियों के गार्डों से लूटे तीन वॉकी-टॉकी

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

नक्सलियों ने गणतंत्र दिवस के पूर्व शनिवार की रात छत्तीसगढ़ के बचेली और भांसी थाना क्षेत्र में मालगाड़ियों के गार्डों से तीन वाकी-टॉकी लूट लिए। दोनों थानों में मामले के संबंध में रेलवे की ओर से किसी ने अपराध दर्ज नहीं कराया है।

एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि शनिवार की रात नक्सलियों ने दो जगह लूट की। रात करीब साढ़े सात बजे कुछ जनमिलिशिया सदस्य बचेली स्टेशन पहुंचे और मालगाड़ी के गार्ड और चालक से दो वाकी-टॉकी लूट ले गए। लूट की दूसरी घटना कमालूर स्टेशन पर हुई। यहां भी नक्सली मालगाड़ी के गार्ड से रात करीब साढ़े दस बजे वाकी-टॉकी, टॉर्च और मोबाइल लूट ले गए।

फ्रिक्वेंसी बदलकर करते हैं उपयोग : एसपी ने बताया कि नक्सली लूटे गए वाकी-टॉकी का उपयोग फ्रिक्वेंसी बदलकर करते हैं। रेलवे का वाकी-टॉकी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। उसकी रेंज डेढ़ से दो किमी तक ही होती है। एसपी के अनुसार नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देते समय टुकड़ियों में बंटे समूह के साथ बातचीत करने में इसका इस्तेमाल करते हैं।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तीन वाहनों में लगाई आग

बीजापुर, नईदुनिया : बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में ये वाहन लगे थे। वाहन पुसगुडी स्कूलपारा में खड़े थे। जहां हथियारबंद नक्सलियों ने वारदात की। नक्सली इस इलाके में सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं।

रज्जू भैया स्कूल में प्रवेश परीक्षा एक मार्च को

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर

- देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह पहला सैनिक विद्यालय
- शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए आठ सीट आरक्षित

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर स्थित शिकारपुर क्षेत्र के खंडवाया में बनाए जा रहे रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कक्षा छह से 12 तक के इस स्कूल में प्रवेश की तैयारी भी शुरू हो गई है। कक्षा छह में प्रवेश के लिए 23 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। एक मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। छह अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसके लिए विद्यालय समिति की बैठक भी हो चुकी है। विभिन्न राज्यों से अभिभावक पंजीकरण के लिए पहुंचे रहे हैं।

देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह पहला सैनिक विद्यालय है। यहां संस्कृति और संस्कार मूल में होंगे, जो देश के भावी सैनिकों को प्रदान किए जाएंगे। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षा के साथ बच्चों का नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया जाएगा। यह केवल आवासीय विद्यालय में ही संभव है। इस विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी। फिलहाल यहां लड़कों का प्रवेश होगा। बाद में लड़कियों के प्रवेश पर भी विचार किया जाएगा। स्कूल का संचालन आरएसएस की शिक्षा शाखा विद्या भारती करेगी। यहां छात्रों को रक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष शिवकुमार के मुताबिक, कक्षा छह में प्रवेश के लिए कुल 160 सीटें हैं। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए आठ सीटें आरक्षित हैं। शहीदों के बच्चों को आयु में कुछ छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोई आरक्षण नहीं होगा। स्कूल प्रबंधक डीके शर्मा के मुताबिक, स्कूल में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए यूनिफार्म व्यवस्था रहेगी।

लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार व मेडिकल होगा

स्कूल के लिए भूमि पूर्व सैनिक चौधरी राजपाल सिंह ने दान की है। समिति सदस्य जयप्रकाश गर्ग ने बताया कि विद्यालय आठ एकड़ भूमि पर बना है। प्रवेश परीक्षा में बच्चे की तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, गणित की क्षमता जांची जाएगी। अंग्रेजी का ज्ञान भी परखा जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। इसके बाद मेडिकल परीक्षा होगी।

'छपाक' के निर्माता ने कहा अधिवक्ता को दिया श्रेय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अपर्णा भट्ट की अवमानना याचिका पर दिया जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदी फिल्म 'छपाक' के निर्माता और निर्देशक पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया कि भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल की अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को श्रेय दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय रिलीज में श्रेय नहीं दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के निर्माताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माण में अधिवक्ता अपर्णा भट्ट के योगदान को देखते हुए 11 जनवरी को आदेश दिया था कि उन्हें भी श्रेय दिया जाए।

फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो को हाई कोर्ट ने कहा था कि क्रेडिट स्लाइड में दर्ज किया जाए कि अपर्णा भट्ट से जो इनपुट लिए गए, उन्हें स्वीकार किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जिन सिनेमाघरों में फिल्म की डिजिटल कॉपी दी गई है, उनमें 15 जनवरी तक इन बिंदुओं को लागू करना होगा। इसके अलावा केबल टीवी, डीटीएच, इंटरनेट मनोरंजन और अन्य माध्यमों पर फिल्म अधिवक्ता के श्रेय के बगैर प्रसारित नहीं हो सकेगी। इन आदेशों को जब माना नहीं गया तो अपर्णा भट ने अवमानना की याचिका दायर कर दी।